153

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : के0सी0 जैन
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2335–तीन/2006 विरूद्ध आदेश दिनांक 03–11–2006 पारित अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 687/अपील/2000–01.

शिवबहोर तनय भीमसेन राम
निवासी पोंडी, तहसील कुसुमी,
जिला सीधी म0प्र0

———आवेदक

विरूद्ध

1– भोला प्रसाद तनय मोतीलाल
निवासी पोंडी, तहसील कुसुमी,
जिला सीधी म0प्र0

2– मध्यप्रदेश शासन द्वारा पटवारी हल्का
भदौरा, तहसील कुसुमी, जिला सीधी

———अनावेदकगण

....

श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक, आवेदक
श्री आर0डी0शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक कं 1
शासकीय अभिभाषक, अनावेदक कं.2

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 26 सितम्बर 2016 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के आदेश दिनांक 03–11–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम पोंडी की आराजी पुराना नं0 65 जिसका नया बन्दोबस्त नं0 144, 142 व 151 भूमि कब्जा दर्ज कराने बावत पर अनावेदक भोला प्रसाद द्वारा न्यायालय कुसुमी के समक्ष

आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अनावेदक का कब्जा दर्ज करने के आदेश पारित किया। जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी मझौली जिला सीधी के समक्ष प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 20—6—2001 के द्वारा विचारण न्यायालय का आदेश स्थिर रखा। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 03—11—06 के द्वारा अपील निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3— आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस आधार पर अपील निरस्त की दी गई कि विचारण न्यायालय में आवेदक को सुनवाई का अवसर दिया गया है तथा इन आराजियों में अनावेदक कमांक 1 का कब्जा है, ऐसी स्थिति में कोई बिन्दु निर्णीय होने के लिये नहीं बचता। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस विधिक बिन्दु पर कतई ध्यान नहीं दिया कि संहिता की धारा 115, 116 के तहत भूमिस्वामी की भूमि पर कब्जा दर्ज नहीं किया जा सकता। मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 में भूमिस्वामी की भूमि पर अतिकामक का कब्जा दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि धारा 115 व 116 के तहत अशुद्ध प्रविष्टि को शुद्ध किये जाने का प्रावधान है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर ध्यान दिए बिना ही आदेश पारित किया है। उक्त भूमि के संबंध में दोनों अपीलीय न्यायालयों के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी जिन्हें निरस्त करने में दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा त्रुटि की गई है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाये।

4— अनावेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण करने का अनुरोध किया।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि

अनावेदक भोपा प्रसाद द्वारा तहसीलदार न्यायालय में कब्जा इन्द्राज हेतु संहिता की धारा 116 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता का आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर से तहसीलदार ने आदेश दिनांक 12–9–1994 के द्वारा अनावेदक भोलाप्रसाद का नाम बतौर कब्जेदार कब्जा अंकित करने का आदेश दिया गया। इस प्रकरण में दो महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न यह है कि–

1. क्या म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 115–116 के अन्तर्गत कब्जा अंकित किया जा सकता है?
2. क्या संहिता की धारा 115–116 के अन्तर्गत नवीन प्रविष्टि की जा सकती है?

संहिता की धारा 115 में यह प्रावधानित है कि–

115. खसरा तथा किन्हीं अन्य भू–अभिलेखों में गलत प्रविष्टि का वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा शुद्धिकरण– यदि किसी तहसीलदार को यह पता चले कि उसके अधीनस्थ पदाधिकारी द्वारा धारा 114 के अधीन तैयार किये गये भू–अभिलेखों में गलत या अशुद्ध प्रविष्टि की गई है, तो वह सम्यक् लिखित सूचना देने के पश्चात सम्बन्धित व्यक्तियों से ऐसी पूछ–ताछ करने के पश्चात जैसी कि वह उचित समझे, उसमें आवश्यक परिवर्तन (लाल स्याही से) किये जाने का निर्देश देगा।

उक्त धारा की व्याख्याएं राजस्व मण्डल एवं मान0 उच्च न्यायालय द्वारा अपने विभिन्न निर्णीत प्रकरणों में की गई हैं जिनके उद्धरण से इस धारा पर पर्याप्त प्रकाश पडता है, जो इस प्रकार हैं–

1995 आर एन 274 बरफीबाई तथा अन्य विरूद्ध राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर तथा अन्य में मान0 उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है–

''भू–राजस्व संहिता 1959 (म.प्र.) – धारा 115–व्याप्ति– तहसीलदार द्वारा स्वयं पूर्वतर प्रविष्टि किया जना निदिष्ट – बाद में धारा 115 का आश्रय लेना अनुज्ञेय नहीं है।''

इसी प्रकार 1989 आर एन 4 रामदास विरूद्ध राजकुमार में इस न्यायालय के खंड पीठ द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है–

''भू–राजस्व संहित, 1959 (म.प्र.) – धारा 116 तथा धारा 115 – के बीच विभेद– धारा 115 के अधीन स्वप्रेरणा से कार्यवाही की जा सकती है – किसी आवेदन की आवश्यकता नहीं – किन्तु धरा 116 के अधीन कार्यवाही केवल आवेदन पर ही की जा सकती है– धारा 116 के अधीन आवेदन – धारा 115 के अधीन विनिश्चित नहीं किया जा सकता।''

1997 आर एन 120 चंद्रमणि राय विरूद्ध मुस. रामकली तथा अन्य राजस्व मण्डल न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है–

भू–राजस्व संहित, 1959 (म.प्र.) – धारा 116 तथा 115 – एक वर्ष के भीतर की गई गलत प्रविष्टि ही सही कराई जा सकती है––कब्जे की प्रविष्टि के लिए विलंबित आवेदन नहीं किया जा सकता––कब्जे के वेश में हक से संबंधित प्रविष्टि का भी दावा नहीं किया जा सकता। 1963 रा नि 16 (खंड न्यायपीठ) अवलंबित।

2000 आर एन 177 मोहम्मद विरूद्ध मोहन राजस्व मण्डल न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है–

भू–राजस्व संहित, 1959 (म.प्र.) – धारा 115 तथा 116 – उपबंध– किसी भी पक्षकार का कब्जा लिखने के लिए उपयोग नहीं किए जा सकते –– तहसीलदार को स्थल पर जाना चाहिए–– भूमिस्वामी की भूमि पर किसी भी व्यक्ति का कब्जा लिखने के लिए पटवारी की रिपोर्ट अथवा उसके साक्ष्य को आधार नहीं बताया जा सकता।

1995 आर एन 32 भारतसिंह विरूद्ध कमलसिंह तथा एक अन्य में राजस्व मण्डल न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है–

भू–राजस्व संहित, 1959 (म.प्र.) – धारा 116 तथा 32 – व्याप्ति –– भूमिस्वामी को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना कब्जे की प्रविष्टि का

आदेश – अधिकारिता रहित है–धारा 116 के अधीन ऐसा आदेश पारित करते हेतु उपबंध नहीं– धारा 32 भी आकर्षित नहीं होती।

1995 आर एन 255 गौरी शंकर तथा एक अन्य विरूद्ध ठाकुरप्रसाद तथा एक अन्य में राजस्व मण्डल न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है–

भू–राजस्व संहित, 1959 (म.प्र.) – धारा 115 तथा 116 – तहसीलदार की अधिकारिता–नई प्रविष्टी नहीं की जा सकती – केवल भू–अभिलेख की विद्यमान गलत या अशुद्ध प्रविष्टी को सही किया जा सकता है।

इस संबंध में 1996 आर एन 295 वंशपतीसिंह विरूद्ध जगदीशसिंह में इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है–

भू–राजस्व संहित, 1959 (म.प्र.) – धारा 115 – के अधीन कार्यवाही – संदेहपूर्ण– भूमिस्वामी को विधिपूर्ण तामील किए बिना अभिकथित अधिक्रामक का नाम प्रविष्ट– आदेश कायम नहीं रह सकता।

संहिता की धारा 116 में यह प्रावधानित है कि–

116. खसरा या किन्हीं अन्य भू–अभिलेखों में की गई प्रविष्टि के बारे में विवाद– (1) यदि कोई व्यक्ति धारा 114 के अधीन तैयार किये गये भू–अभिलेखों में की किसी ऐसी प्रविष्टि से व्यथित हो तो वह ऐसी प्रविष्टि के दिनांक से एक वर्ष के भीतर उसके शुद्धिकरण के लिये तहसीलदार को आवेदन करेगा।

(2) तहसीलदार, ऐसी जॉच करने के पश्चात, जैसी कि वह उचित समझे, मामले में आवश्यक आदेश देगा।

उक्त धारा की व्याख्याएं राजस्व मण्डल एवं मान0 उच्च न्यायालय द्वारा अपने विभिन्न निर्णीत प्रकरणों में की गई हैं जिनके उद्धरण से इस धार पर पर्याप्त प्रकाश पडता है, जो इस प्रकार हैं–

इस संबंध में 2005 आर एन 432 साहब सिंह तथा अन्य विरूद्ध चुन्ना में राजस्व मंडल द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया है–

(1) भू–राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.) –– धारा 116– राजस्व अभिलेख में विद्यमान प्रविष्टि ठीक करने के लिए उपबंध है– कोई नई प्रविष्टि नहीं की जा सकती जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। 1998 आरएन 211, 1988 आरएन 5 अवलंबित।

इसी प्रकार 1996 आर एन 340 परीमल सिंह विरूद्ध मु. बसंती देवी तथा अन्य में इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है–

भू–राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.) – धारा 116 – कब्जे की नई प्रविष्टि का दावा नहीं किया जा सकता–व्यक्ति को कोई हक प्राप्त नहीं – कब्जे में होने की प्रविष्टि नहीं की जा सकती– वह ऐसी प्रविष्टि की ईप्सा पिछले दरवाजे से आ कर नहीं कर सकता। 1994 आर एन 395, 411, 1995 आरएन 9 तथा 1986 आर एन 1 अवलंबित।

1994 आर एन 395 विष्णुप्रसाद तथा अन्य विरूद्ध दि नेशनल स्पिरिचुअल असेबली आफ दि वहाइज आफ इंडिया नई दिल्ली तथा अन्य में राजस्व मण्डल न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है–

भू–राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.) – धारा 115 तथा 116 – व्याप्ति– कब्जा संबंधी नई प्रविष्टि–नहीं की जा सकती––तहसीलदार या किसी क्षेत्र कर्मचारी को गत वर्षों की किसी प्रकार की नवीन प्रविष्टि करने की अधिकारिता नहीं है–केवल चालू प्रविष्टियों में की गई किसी त्रुटि को शुद्ध किया जा सकता है। 1985 रा नि 16 अवलंबित।

1988 आर एन 55 मिठूशाह तथा अन्य विरूद्ध गोर अली तथा अन्य में राजस्व मण्डल न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है–

भू–राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.) – धारा 115 तथा 116 – व्याप्ति––नवीन प्रविष्टि–इन धाराओं के अधीन नहीं की जा सकती। 1985 रा.नि. 16, 1975 रा0नि0 51 तथा 1965 रा0नि0 114 अवलंबित।

1986 आर एन 233 बल्देव तथा अन्य वि0 मुस. बुदउआ तथा अन्य में राजस्व मण्डल न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है–

भू–राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.) – धारा 115 तथा 116 – इनके अधीन शक्तियों की सीमा–नवीन प्रविष्टि नहीं की जा सकती।

इस तरह म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 115 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि तहसीलदार को जब स्वयं यह ज्ञात होता है कि उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी ने धारा 114 के अन्तर्गत भू–अभिलेख में कोई त्रुटि की है तो तहसीलदार ऐसी त्रुटि में सुधार संबंधित पक्षकारों को सुनने के पश्चात कर सकेगा। यहां यह भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि धारा 115 में ऐसी त्रुटि सुधार करने की कार्यवाही को समय–सीमा से नहीं बांधा है जबकि धारा 116 में एक वर्ष की समय–सीमा का उल्लेख किया है। धारा 116 में किसी व्यक्ति विशेष द्वारा आवेदन दिये जाने पर तहसीलदार द्वारा कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है। दूसरे शब्दों में धारा 115 तहसीलदार को स्वयं कार्यवाही के लिए अधिकार प्रदान करती है जिसमें समयसीमा प्रावधानित नहीं है तथा धारा 116 के अन्तर्गत कार्यवाही किसी व्यक्ति के आवेदन पत्र दिये जाने पर की जा सकती है। जो भू–अभिलेख में की गई प्रविष्टि के एक साल के भीतर आवेदन देने पर की जावेगी।

किसी व्यक्ति को कब्जे इन्द्राज/नवीन प्रविष्टि हेतु संहिता की धारा 115–116 का सहारा लिया जाना विधिसंगत नहीं है।

2006 आर एन 104 चंदनसिंह विरूद्ध कृपाल सिंह में इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया है–

(1) भू–राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.) –– धारा 121, 115 तथा 116–– नि. 7 तथा 8 (धारा 121 के अधीन) –– नियमों में खसरा तैयार करने के लिए निर्देश और प्रकिया का उपबंध है –– नियमों के अधीन कोई मामला विनिश्चित नहीं किया जा सकता–– किसी भी धारा अर्थात 115, 116 तथा 121 के अधीन कब्जा अभिखित नहीं किया जा सकता –– कब्जा अभिलिखित

करने के लिए धारा 121 के अधीन तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदन फाईल नहीं किया जा सकता। 1995 आर एन 219, 2002 आर एन 59, 1994 आनएन 411, 1992 आर एन 13 तथा 180 आन एन 392 अवलंबित। 1992 आन एन 62 (उच्च न्यायालय) अनुसरित।

बिन्दु कमांक 1 पर निष्कर्ष– जहां तक वाद बिन्दु 1 का प्रश्न है कि क्या म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 115–116 के अन्तर्गत कब्जा अंकित किया जा सकता है, उपरोक्त वर्णित न्यायदृष्टातों एवं संहिता की धारा में अंकित प्रावधानों के प्रकाश में यह स्पष्ट हो चुका है कि संहिता की धारा 115–116 के अन्तर्गत कब्जा अंकित नहीं किया जा सकता है। दोनों धाराओं की विषय वस्तु में पर्याप्त अंतर है किन्तु सामान्य तौर पर कब्जा लिखवाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय 115–116 लिखकर आवेदन दे दिया जाता है जबकि अपेक्षा यह की जाती है कि जिस धारा की विषयवस्तु के अनुरूप तथ्य हों तद्नुसार ही धारा का उल्लेख कर आवेदन दिया जाना चाहिये और तद्नुसार ही अधीनस्थ नयालय को धारा का स्पष्ट उल्लेख कर प्रकरण निराकृत करना चाहिये।

बिन्दु कमांक 2 पर निष्कर्ष– जहां तक वाद बिन्दु कमांक 2 का प्रश्न है कि क्या संहिता की धारा 115–116 के अन्तर्गत नवीन प्रविष्टि की जा सकती है, उपरोक्त वर्णित न्यायदृष्टातों एवं संहिता की धारा 116 में अंकित प्रावधानों के प्रकाश में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि संहिता की धारा 115–116 के अन्तर्गत खसरों में हुई त्रुटियों में सुधार किये जाने का प्रावधान है, किसी प्रकार नवीन प्रविष्टि का किया जाना विधिसंगत नहीं है।

विचारण न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक भोलाप्रसाद द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर धारा 115–116 के तहत कब्जा दर्ज कराने हेतु आवेदन पत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार ने संहिता के प्रावधानों के विपरीत अनावेदक भोला प्रसाद का कब्जा अंकित करने में त्रुटि की है। संहिता की धारा 116 में किसी व्यक्ति के द्वारा त्रुटि सुधार हेतु निर्धारित समयावधि एक वर्ष के भीतर आवेदन प्रस्तुत

किये जाने पर तहसीलदार द्वारा प्रकिया का पालन कर उक्त त्रुटि को सुधार करने के आदेश दिये जा सकते हैं, किन्तु नवीन प्रविष्टी की अधिकारिता तहसीलदार को इस धारा के अंतर्गत प्रदान नहीं की गयी है। विचारण न्यायालय में संलग्न खसरे के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदक शिवबहोर के भूमिस्वामी स्वत्व में दर्ज है। आवेदक के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि पर अनावेदक भोला प्रसाद का नाम दर्ज करने में नियमों की अनदेखी की गई है। जहां तक अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के आदेशों का प्रश्न है दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस विधिक एवं कानूनी बिन्दु पर बिना विचार किये तहसील न्यायालय के अवैधानिक आदेश की पुष्टि करने में अवैधानिकता की गई है। अतः तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है। अपर आयुक्त रीवा संभाग द्वारा पारित आदेश दिनांक 3–11–2000, अनुविभागीय अधिकारी सीधी द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–6–2001 एवं नायब तहसीलदार कुसमी जिला सीधी द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–7–94 अवैधानिक होने से निरस्त किये जाते हैं तथा नायब तहसीलदार कुसमी जिला सीधी को पूर्ववत आवेदक के नाम भूमिस्वामी के रूप में दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जाते हैं।

(के0सी0 जैन)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर